न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– **41/2016**

रीना कुमारी बनाम कबिता कुमारी

–:: आदेश ::–

11.3.17

प्रस्तुत ऑगनवाड़ी वाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में दायर वाद संख्या– 08/2013–14 में पारित आदेश दिनांक– 12.06.2014 के विरूद्ध श्रीमती रीना कुमारी के द्वारा उप निदेशक, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 198/14 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, पटना द्वारा निर्गत पत्र संख्या– 3226 दिनांक– 11.08.2015 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तान्तरित किया गया हैं।

अपीलार्थी का कहना है कि सिमरीबख्तियारपुर प्रखण्ड के घोघसम पंचायत अन्तर्गत ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या– 147 पर सेविका पद हेतु उम्मीदवारी दर्ज करायी। उक्त केन्द्र पर अपीलार्थी का चयन दिनांक– 29.06.2014 को किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध मुखिया जवाहर साह द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 375/05 दायर किया गया। अपीलार्थी का आगे कथन है कि आम सभा में चयन के विरूद्ध शिकायत की जॉच अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर से करायी गयी, जिसके आधार पर पुनः दिनांक– 08.07.2005 को आम सभा हुई, जिसमें रीना कुमारी अपीलार्थी तथा विपक्षी कबिता कुमारी से प्राप्त आवेदनों पर रीना कुमारी को सर्वाधिक अंक रहने के बावजूद भी सामाजिक प्रभाव से प्रभावित होकर कबिता कुमारी का चयन किया गया। इस प्रकार दिनांक– 08.07.2005 को आहुत आम सभा की कार्रवाई में विवाद होने की स्थिति में दिनांक– 16.08.2005 को नये सिरे से आम सभ करायी गयी, जिसमें अपीलार्थी रीना कुमारी को हटाकर विपक्षी का चयन किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध मान्नीय उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 755/06 दाखिल किया गया। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 16.07.2007 को न्यायादेश पारित किया गया। पारित आदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने ज्ञापांक– 27 दिनांक– 16.03.2010 द्वारा सकारण आदेश पारित कर विवादित ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या– 147 को कार्यान्वयन कराया गया। अपीलार्थी का अग्रतर कहना है कि C.W.J.C. No. 755/06 में दिनांक– 16.07.2007 को पारित न्यायादेश के कार्यान्वयन हेतु एम०जे०सी० संख्या– 2621/09 दाखिल किया गया हैं।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि चयन उक्त केन्द्र हेतु किया गया है। चूँकि पोषक क्षेत्र का निर्धारण वर्ष 2004 में मैपिंग पंजी के द्वारा किया गया तथा अपीलार्थी का चयन पत्र भी निर्गत किया गया, जिसके अनुपालन में आवेदिका योगदान कर कार्यरत हुई तथा पोषहार राशि भी दिया गया. किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश के द्वारा अपीलार्थी का परिवाद–पत्र अस्वीकार कर दिया गया, जिसके खिलाफ अपीलार्थी ने जिलाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में वाद संख्या– 68/2011–12 दाखिल किए। जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक– 13.07.2010 द्वारा सभी तथ्यों पर पूर्ण विश्लेषण करने के बाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक– 27 दिनांक– 16.03.2010 के द्वारा पारित आदेश जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया को निरस्त किया गया तथा समेकित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत ऑगनवाड़ी केन्द्र के लिए सेविका/ सहायिका के चयन संबंधी मार्गदर्शिका 2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत नए सिरे से आवेदन आमंत्रित कर चयन करने हेतु आदेश दिया गया तथा उक्त आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि नए सिरे से चयन में आवेदिका एवं विपक्षी कबिता कुमारी को अनिवार्यतः शामिल किया जाय। उक्त आदेश के आलोक में दिनांक– 11.09.2012 को ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या– 147 पर सेविका पद हेतु आम सभा का आयोजन किया गया तथा दुर्भाग्यवश अपीलार्थी रीना कुमारी बीमार हो गई, जिनका ईलाज दिनकर नर्सिंग होम, गंगजला, सहरसा में चला, जिस कारण आम सभा में शामिल नहीं हो सकी एवं उनके ओर से उनके पति के द्वारा दिनांक– 10.09.2012 को दाखिल समयावेदन एवं चिकित्सक प्रमाण–पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दी गई, जिसे बिना देखे एवं बिना समय प्रदान किए मिली भगत से अपीलार्थी रीना कुमारी को अनुपस्थित दिखाकर विपक्षी का चयन नाजायज तरीके से कर लिया गया, जिसके खिलाफ अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के यहॉ अपील वाद संख्या– 08/2013–14 दाखिल किए, जिसमें भी बिना अपीलार्थी के तथ्यों को सुने गलत ढंग से पारित किया गया, जो बिल्कुल गलत हैं। निम्न न्यायालय में मेधा सूची जो 08.07.2008 को तैयार किया गया था में अपीलाथी मध्यमा प्रथम श्रेणी हैं, जबकि विपक्षी कबिता कुमारी मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से उर्त्तीण हैं, पर ध्यान नहीं दिया एवं मान्नीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश की निम्न आय वर्गीय अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाय तथा उक्त परिपेक्ष्य में अपीलार्थी को वार्षिक आय 22,000.00 रूपये है, जबकि विपक्षी का वार्षिक आय 25,000.00 रूपये हैं। उक्त स्थिति में भी अपीलार्थी उक्त पद के योग्य उम्मीदवार थे, जिस पर निम्न न्यायालय ने गौर नहीं किया तथा नाजायज तरीके से विपक्षी के पक्ष

11.3.17

में आदेश पारित किया। इसलिए पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील वाद दाखिल करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारीज करते हुए अपीलार्थी के अपील वाद को स्वीकार करने की याचना की हैं।

विपक्षी संख्या–1 कबिता कुमारी का कहना है कि यह अपील बिल्कुल भ्रामक, बेबुनियाद एवं गलत है, और इसे सिरे से अस्वीकार करती हैं। उनका यह कथन कि अपीलार्थी का अपील के कण्डिका संख्या–2 में वर्णित उनका चयन सेविका के पद पर ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या– 147 पर दिनांक– 29.06.2004 को किया गया सिर्फ इतना सही है कि चूँकि अपीलार्थी का आई०सी०डी०एस० के प्रावधान के अनुरूप न होने से घोघसम पंचायत के मुखिया जवाहर साह के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी को दो महिना के अन्दर सुनवाई कर आदेश पारित किया जाना है। जिला पदाधिकारी ने मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनियमितता की जॉच अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर से कराये जाने का आदेश दिये, जिस चयन में अनुमण्डल पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन पत्रांक 158–2 दिनांक– 14.06.2005 से यह प्रतिवेदित किया है कि चयन समिति द्वारा आम सभा में सेविका एवं सहायिका के नामों का चयन नहीं किया गया। तदनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के आदेश के आलोक में दिनांक– 08.07.2005 को आम सभा कराई गई और विपक्षी कबिता कुमारी का चयन हुआ और पुनः दिनांक– 08.08.2005 के आम सभा की कार्रवाई पर विवाद होने की स्थिति में दिनांक– 16.08.2005 को नये सिरे से आम सभा कराई गई और इस आम सभा में विपक्षी का चयन हुआ और इस आम सभा में अपीलार्थी का उपस्थित नहीं होने के कारण पुनः विपक्षी का का चयन के खिलाफ अपीलार्थी रीना कुमारी ने मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में **C.W.J.C. No. 775/06** दायर किया गया, जिसमें मान्नीय उच्च न्यायालय ने दिनांक– 16.07.2007 को अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तार करने का आदेश दिया और तदनुसार मान्नीय उच्च न्यायालय के उक्त पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी रीना कुमारी का अभ्यावेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा ने अपने ज्ञापांक– 27 दिनांक– 16.03.2010 द्वारा सकारण आदेश पारित कर विवादित ऑगनवाड़ी केन्द्र को कार्यान्वित कराया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी रीना कुमारी के चयन को रद्द कर जिला स्तर से दिनांक– 16.08.2005 को निर्धारित आम सभा में कबिता कुमारी के चयन हेतु लिए गए निर्णय को नियमानुकुल बताते हुए अपीलार्थी रीना कुमारी के परिवाद–पत्र को खारीज कर दिया। इसी बीच अपीलार्थी रीना कुमारी द्वारा **C.W.J.C. No. 775/06** में दिनांक– 16.07.2007 को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन हेतु एम०जे०सी० 2621/2007 किया गया जब मान्नीय उच्च न्यायालय उक्त एम०जे०सी० में जिला पदाधिकारी, सहरसा इस प्रकरण में प्रतिवेदन की मांग की। किन्तु, जिला पदाधिकारी, सहरसा ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक– 27 दिनांक– 16.03.2010 द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत ऑगनवाड़ी सेविका/ सहायिका के चयन संबंधी मार्गदर्शिका 2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत नये सिरे से आवेदन आमंत्रित कर चयन हेतु आदेश दिया और नये सिरे से चयन में अपीलार्थी रीना कुमारी एवं विपक्षी कबिता कुमारी को अनिवार्यतः शामिल होने का आदेश दिया।

विपक्षी संख्या– 1 ने अपने प्रतिउत्तर में यह उल्लेख किया है कि कण्डिका– 8 के क,ख एवं ग में वर्णित कथन बिल्कुल गलत एवं नाजायज हैं। दिनांक– 11.09.2012 को जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में उक्त ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या– 147 पर सेविका पद के चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में दुर्भाग्यवश अपीलार्थी बीमार पड़ गई और इस आम सभा में शामिल नहीं हो सकी ओर उनके द्वारा दिये गए समयावेदन और चिकित्सक के प्रमाण–पत्र दाखिल करने के बावजूद उन्हें अनुपस्थित दिखाकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने विपक्षी को नाजायज तरीके से चयन कर लिया। जबकि, असलियत यह है कि अपीलार्थी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा दिनांक– 11.09.2012 को आयोजित आम सभा में नोटिस हस्तगत कराया गया था, किन्तु अपीलार्थी ने जान–बुझकर इस आम सभा में अपने चयन का दावा प्रस्तुत इसलिए नहीं कराया, क्योंकि वह जानती थी थी कि विपक्षी का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र अन्तर स्नातक है ओर वे उस चयन में चयनित नहीं हो सकती है और इसलिए बीमार होने का बहाना बनाकर दिनांक– 10.09.2012 को अपने पति के द्वारा एक समयावेदन ओर एक मनगढन्त और जाली चिकित्सा प्रमाण–पत्र किसी सरकारी अस्पताल से न कराकर एक निजी चिकित्सक केन्द्र दिनकर नर्सिंग होम, गंगजला, सहरसा का दाखिल किया जो बिल्कुल जाल एवं भ्रामक हैं। इस प्रकार अपीलार्थी का यह आरोप बिल्कुल खारीज करने योग्य हो जाता है। साथ हीं, अपीलार्थी के द्वारा दाखिल कंडिका– 8 के "घ" में वर्णित कथन बिल्कुल बेबुनियाद, भ्रामक एवं गलत हैं। अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी संख्या–1 के अन्तर स्नातक शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र की बैद्यता को चुनौती दी गई थी तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक 1702–1 दिनांक– 10.10.2013 को विपक्षी के अन्तर स्नातक शैक्षणिक प्रमाण–पत्र को माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली,

केन्द्रीय एवं सूचनार्थ कार्यालय भवन नं0– 41 के 5ए० 425 साकेत नगर पी० पी०ए०सी० कम्प्लेक्स धूमनगंज, इलाहाबाद, उ०प्र० द्वारा निर्गत से जॉच कराया गया, जिसका सत्यापन उक्त संस्था के द्वारा कोई ठोस सबूत के रूप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष नहीं आया और अपीलार्थी का यह कहना कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने इस बात को नजर अंदाज कर विपक्षी के पक्ष में अपना फैसला दिया है, यह कहना बिल्कुल गलत है और इस तरह अपीलार्थी का यह कहना भी नाजायज एवं गलत हो जाता हैं।

उन्होंने आगे कहा हैं कि कण्डिका– "ड" के वर्णित कथन और भी मनगढन्त, भ्रामक और गलत है। निम्न न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा दाखिल किया गया मध्यमा प्रथम श्रेणी से उर्त्तीण एवं विपक्षी के द्वारा दाखिल किया गया मैट्रिक द्वितीय श्रेणी से उर्त्तीण प्रमाण पत्र को ध्यान दिये बगैर किसी अपना आदेश पारित कर दिया, जो बिल्कुल गलत हैं। जबकि असलियत यह है कि विपक्षी का चयन अन्तर स्नातक शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के आधर पर बाल विकास परियोजना ने नये सिरे से जिला पदाधिकारी के आदेश दिनांक– 13.07.2010 के आलोक में विधिवत तरीके से अपीलार्थी रीना कुमारी और विपक्षी कबिता कुमारी को सेविका पद पर चयन हेतु आम सभा में उपस्थित होने का नोटिस निर्गत किया और यहॉ तक कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने आम सभा में उपस्थित होकर घोघसम पंचायत के मुखिया के द्वारा घोघसम पंचायत के वार्ड सदस्य के पति द्वारा जब अपीलार्थी को आम सभा में उपस्थित होने के लिये बुलाया गया तो अपीलार्थी रीना कुमारी ने खुले शब्दों में आम सभा में उपस्थित नहीं होने की बात कही, जिस बात का सत्यापन इस बात से स्पष्ट है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने आम सभा की निष्पक्षता को बनाये रखने का प्रमाण हेतु आम सभा में सी०डी० कैसेट आम सभा की पूरी कार्यवाही का तैयार करवायी है, जिसमें अपीलार्थी के द्वारा आम सभा में उपस्थित होने की बात वार्ड सदस्य के पति के शब्दों में अंकित है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा पूछे गए प्रश्न और जवाब से भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा जान–बूझकर आम सभा में उपस्थिति इसलिए दर्ज नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि विपक्षी का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र अन्तर स्नातक है और वह आई०सी०डी०एस० के प्रावधान के अनुरूप योग्य उम्मीदवार चयन हेतु है ओर चूँकि अपीलार्थी का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र मध्यमा है। इसलिए उनका चयन संभव नहीं है और यदि वह ऐसी स्थिति में आम सभा में उपस्थित नहीं होगी तो चयन का मामला विवाद में पड़ सकता है, ओर उसका मंशा विपक्षी को चयन हेतु बाधित करना हैं। अपीलार्थी के द्वारा नाहक राजनीतिक पूर्वाग्रह एवं व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से विपक्षी को परेशान करने की नियत से आज तक तंग एवं परेशान करते आ रही है, ताकि विपक्षी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर सकें।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं हैं। अतः प्रस्तुत अपील वाद खारीज किया जाता हैं।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

11.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

11.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 451-2/ विधि, सहरसा, दिनांक– 11-03-17

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

11.3.17